

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062020-220065 CG-DL-E-20062020-220065

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1738] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28 , 1942 No. 1738] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISHTHA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 1954(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं.का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

अनुसूची में, क्रम सं. 314 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र.सं .	नया रारा सं .	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
314	बी 148	राजस्थान राज्य में कोटपुतली पर नई रारा-48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर हरियाणा राज्य में (नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी खंड को छोड़कर) भिवानी, हांसी, बरवाला, टोहाना को जोड़ने वाला और पंजाब राज्य में भटिंडा के निकट मानसा पर रारा- 54 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

2672 GI/2020

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180, दिनांक 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का. आ. 175(अ) तारीख 10 जनवरी, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था ।

[फा. सं. एनएच-14012/2/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 1954(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4^{th} April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 314 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
314	148B	The highway starting from its junction with new NH No. 48 at Kotputli in the State of Rajasthan connecting (excluding Narnaul, Mahendergarh, Charkhi Dadri section) Bhiwani, Hansi, Barwala, Tohana in the State of Haryana, Mansa and terminating at its junction with NH 54 near Bathinda in the State of Punjab.

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 175(E), dated 10thJanuary, 2020.

[F. No. NH-14012/2/2020-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.